मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 31.10.2026

थाना को0देहात पुलिस टीम द्वारा अनुमानित कीमत ₹ 06 करोड़ के अवैध गांजा व तस्करी में प्रयुक्त ट्क वाहन के साथ 02 शातिर अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़, अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की निर्माण/तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर की जा रही कार्यवाही में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना को0देहात पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांकः 30.10.2026 को मुखबीर के सूचना के आधार थाना को0देहात पुलिस टीम द्वारा सघन वाहन चेकिंग कर 01 ट्रक वाहन संख्याः MP 09 HH 8908 सवार 02 व्यक्तियों को पकड़ा गया। पकड़े गये अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में अपना नाम-पता 1. गणेश केवट उर्फ रमेश केवट पुत्र रामनाथ केवट निवासी अल्हवा थाना हनुमना जनपद मऊगंज मध्य प्रदेश व 2. शाबिर उर्फ लालू पुत्र दोष मुहम्मद निवासी डेरा पथरावा थाना मऊगंज जनपद मऊगंज मध्य प्रदेश बताया गया है। पुलिस टीम द्वारा उक्त वाहन की तलाशी ली गयी तो वाहन में छिपाकर रखा हुआ कुल 1204 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना को0देहात पर मु0अ0सं0-515/2026 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है तथा गांजा तस्करी में प्रयुक्त उक्त वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

विवरण पूछताछ —

पकड़े गये अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वे उड़ीसा से अवैध रूप से गांजा को ट्रक में छिपाकर मीरजापुर, प्रयागराज, वाराणसी व आसपास के जनपदों में स्पलाई के लिये ले जा रहे थे, इस दौरान पुलिस द्वारा हमें पकड़ लिया गया। गांजा बेच कर प्राप्त पैसे को आपस में बांटकर भौतिक सुख-सुविधाओं का लाभ लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. गणेश केवट उर्फ रमेश केवट पुत्र रामनाथ केवट निवासी अल्हवा थाना हनुमना जनपद मऊगंज मध्य प्रदेश, उम्र 44 वर्ष।
2. शाबिर उर्फ लालू पुत्र दोष मुहम्मद निवासी डेरा पथरावा थाना मऊगंज जनपद मऊगंज मध्य प्रदेश, उम्र 30 वर्ष।

बरामदगी विवरण —

1204 किलो ग्राम अवैध गांजा (अंतराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत ₹ 06 करोड़)

गांजा परिवहन में प्रयुक्त ट्रक वाहन संख्याः MP 09 HH 8908

03 मोबाइल फोन व 1900 रूपये नगद जामातलाशी।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-515/2026 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना को0देहात जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय —

थाना को0देहात क्षेत्रांतर्गत ग्राम बरकछा खुर्द छितमपुर मोड़ के पास से, दिनांकः 30.10.2026 को समय 19.04 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक अमित मिश्रा मय पुलिस टीम थाना को0देहात जनपद मीरजापुर।

